रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211] नई दिल्ली, बुधवार, मई 2, 1984/वैशाख 12, 1906
No. 211] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 2, 1984/VAISAKHA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 1984

का. आ. 351(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (घ) और (च) के अधीन आदेश देने की शक्ति का प्रयोग, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशु चारे के सम्बन्ध में, तमिलनाडु राज्य की सरकार भी उस राज्य में करेगी ।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और 1-8-1984 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

अनुसूची

पशु चारे की किस्में

1. चावल डंठल
2. कुम्बू की भूसी
3. रागी और चोलम की भूसी
4. चावल चोकर
5. गेहूं चोकर, और
6. वितैलित चावल चोकर

[संख्या 32-1/83-एल.डी.2]

पी. एस. कोहली, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 1984

S.O. 351(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Govrnment hereby directs that the power to make orders under clauses (d) and (f) of Sub-section (2) of Section 3 of the said Act shall, in relation to the Cattle Fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Tamil Nadu in that State.

This order shall remain in force for the period commencing from the date of its publication in the Gazette of India and ending with the 1st August, 1984.

SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

1. Paddy Straw.
2. Hay of Cumbu.
3. Hay of Ragi and Cholam.

4. Rice bran.

5. Wheat bran and

6. Deoiled rice bran.

[No. 32-1|83-LDII]

P. S. KOHLI, Addnl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984